निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

वाद संख्या 195/2007

रामचन्द्र पुत्र बजरंगलाल जाति खाती निवासी ग्राम लिसाडियाखुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा।
—वादी—

—बनाम—

1. जानकीलाल मीणा पुत्र नाथूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम तालछी तहसील सांगोद,
2. रामप्रसाद पुत्र जानकीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम तालछी तहसील सांगोद,
3. रामलाल पुत्र जानकीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम तालछी तहसील सांगोद,
4. राधेश्याम पुत्र जानकीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम तालछी तहसील सांगोद जिला कोटा।

—प्रतिवादीगण—

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट

—:: निर्णय ::—

उपस्थिति :—

1. श्री ओमप्रकाश शर्मा (वकील वादी)
2. श्री शाहिद खान (वकील प्रतिवादी)

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण ने इस न्यायालय में हस्तगत वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि :—

- यह कि वादी के खाते एवं कब्जे कारत की माल ग्राम तालछी पटवार हल्का दीगोद तहसील सांगोद के माल में खसरा नं0 35 रकबा 0.93 हेक्टर लगान 20.46 जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2062 से 2065 में वादी के खाते दर्ज है।

- यह कि वादी के खाते की आराजी खसरा न0 35 की दक्षिणी मेड से लगवा ही प्रतिवादी क्रमांक 1 के खातेदारी की आराजी स्थित है, यानि वादी व प्रतिवादी क्रमांक 1 संलग्न मेरी काश्तकार है।

- यह कि वादी ग्राम का एक कमजोर व शांतिप्रिय व्यक्ति है जो कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन करता है।

- यह कि प्रतिवादी गण 1 ता 4 ग्राम तालछी के ताकतवर व सरजोर व उद्दण्ड प्रवृति के लडाकू व

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

झगडालू किस्म के व्यक्ति हैं, प्रतिवादीगण 1 ता 4 द्वारा जबरन ताकत के बल पर वादी के खाते एवं कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नंबर 35 की दक्षिणी मेड पर आर से पार यानि पूर्व से पश्चिम दो गड्डा भूमि पर जबरन नाजायज रूप से कब्जा अक्टूबर 2004 में वादी की लाईल्मी में कर लिया है, एवं प्रतिवादीगण ने उक्त वादी की आराजी की दक्षिणी तरफ जबरन मेड तोडकर वादी की आराजी में अन्दर घुसकर जबरन ट्यूबवेल खुदवा लिया, वादी को जानकारी होते हुए ही वादी ने प्रतिवादीगण से कहा तो उन्होने कहा, कि हमने तो हमारे खेत की सीमा में ही ट्यूबवेल खुदवाया है, यदि तुम्हे आपत्ति हो तो पैमाइश करवा लो। वादी ने तहसीलदार साहब सांगोद को पैमाईश हेतु दिनांक 16.10–04 को प्रार्थना पत्र पेश किया, एवं तहसीलदार साहब सांगोद के आदेश से हल्का पटवारी द्वारा 25.10.04 को वादी व प्रतिवादी की उपस्थिति में पैमाइश की एवं हल्का पटवारी द्वारा की गई पैमाइश के मुताबिक प्रतिवादीगण द्वारा दो गढ़्डा भूमि वादी की दबाना एवं ट्यूबवेल वादी की भूमि में खुदा होना अपनी पैमाइश रिपोर्ट में अंकित किया है, पैमाइश रिपोर्ट हल्का पटवारी दिनांक 25.10.04 प्रमाणित नकल वाद के साथ संलग्न है।

- यह कि वादी द्वारा मुताबिक पैमाइश रिपोर्ट प्रतिवादीगण से अपनी आराजी से कब्जा हटाने का निवेदन किया, उन्होने कहा कि हम अगले वर्ष छोड देंगे, इस प्रकार हर वर्ष प्रतिवादीगण वादी को कब्जा हटाने का आश्वासन देते रहे, परन्तु प्रतिवादी द्वारा कब्जा नहीं छोडा व आज से एकमाह पूर्व वादी द्वारा प्रतिवादीगण से कब्जा छोडने की कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा छोडने से स्पष्ट इन्कार कर दिया, एवं वादी को प्रतिवादी ने धमकी दी है कि यदि ज्यादा बकवास करेगा, तो तेरी सारी आराजी पर ताकत के बल पर कब्जा कर लेगे, व तुझे जमीन से बिलकुल महरूम कर रोड पर ला देंगे।

- यह कि प्रतिवादीगण की वादग्रस्त भूमि पर केवल मात्र अतिक्रमी की हैसियत है। वाद पत्र पेश करने का कारण प्रतिवादीगण द्वारा जबरन ताकत के बल पर वादी के बाते एवं कब्जेकाश्त की आराजी खसरा न०35 रकबा 0.93 हेक्टर की दक्षिणी मेड तोडकर जबरन वादी की आराजी पर ट्यूबवेल खुदाकर करीब 2 गड्डा जमीन पर अवैध कब्जा करने व वादी द्वारा कब्जा छोडने की कहने पर मारपीट व लडाई झगडा करने पर आमादा होने से उत्पन्न हुआ है।

- अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी खसरा नं0 35 रकबा 0.93 हेक्टर माल ग्राम तालछी तहसील सांगोद की आराजी की दक्षिणी मेड की तरफ 2 गढ़्डा कब्जा की गई भूमि पर प्रतिवादीगण को अतिक्रमी घोषित कर उन्हें तुरन्त उक्त आराजी से बेदखल किया जावे, तथा कब्जाशुदा भूमि का कब्जा वादी को संभलाया जावे। तथा वादग्रस्त आराजी का कब्जा वादी को दिलाया जावे, व प्रतिवादीगण से हजनि के रूपये प्रतिवर्ष लगान की 15 गुना राशि हर्जाने के तहत वादी को प्रतिवादीगण से कब्जा दिलाये जाने तक की दिलाई जावे तथा वाद व्यय व अन्य न्यायोचित सहायता जिसे प्राप्त करने का वादी हकदार हो, प्रदान की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

उक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी प्रतिवादीगण की ओर से इस आशय का जवाबदावा प्रस्तुत हुआ कि :—

- यह कि वादी द्वारा उक्त वाद में जो 2 गढ़्ढा जमीन दबाना बता रहा है, उस दो गढ़्ढा जमीन को गांव वालों की समझाईश से राजीनामा करवाकर उक्त गढ़्ढा जमीन का सौदा 21,000/— रूपये में करवा दिया था जिसकी राशि उसी समय प्रतिवादी कं. 3 रामलाल ने रामचन्द्र जी को रामदयाल व धूलीलाल व श्रीलाल जी के समक्ष अदा कर दिये थे जिसकी पुष्टि न्यायालय सी.जे.(जे.डी.)जे.एम. सांगोद में वादी रामचन्द्र के बयान दिनांक 02.08.2008 प्रकरण संख्या 416/2004 से होती है जिसकी बयानों की नकल जवाब के साथ संलग्न है। वादी द्वारा उक्त वाद मात्र प्रतिवादीगण को परेशान कने की नियत से झूठां दर्ज करवाया गया है जो कि काबिल खारिजा है। प्रतिवादी उक्त आराजी पर अतिकमी नहीं होकर उक्त आराजी का खरीदशुदा मालिक है जिसके बाबत प्रतिवादी को सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है। उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादी का पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा है जिस पर प्रतिवादी ने ट्यूबवेल अपने स्वयं के खर्चे से खुदवा रखा है। अतः जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

उक्त आशय का जवाबदावा प्रस्तुत होने पर प्रकरण में निम्नलिखित तनकियात कायम की गई :—

1. आया वादी के खाते एवं कब्जेकाश्त की आराजी माल ग्राम तालछी पटवार हल्का दीगोद के माल में खसरा नंबर 35 की 0.93 हैक्टर दर्ज है। —वादी—
2. आया वादी के खाते की उपरोक्त आराजी की दक्षिणी मेड से लगवा प्रतिवादी कं. 1 की खातेदारी आराजी स्थित है। —वादी—
3. आया प्रतिवादी द्वारा वादी के खाते की आराजी में जबरन ट्यूबवेल खोदकर 2 गढ़्ढा आराजी पर कब्जा कर लिया है। वादी प्रतिवादी के विरूद्ध बेदखली का आदेश प्राप्त करने का अधिकारी है। —वादी—
4. आया प्रतिवादी ओर वादी के बीच आपसी समझाईश से 21,000/—रूपये की एवज में राजीनामा हो चुका है। अतः प्रतिवादी उक्त आराजी पर काबिज रहने का अधिकारी होने से बेदखली नहीं की जावे व वाद खारिज फरमाया जावे। —प्रतिवादी—

मेरे द्वारा उभय पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के उपरान्त पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तदोपरान्त प्रकरण को तनकीवार निम्न विवेचनानुसार निर्णित करना उचित समझती हूं :—

1. आया वादी के खाते एवं कब्जेकाश्त की आराजी माल ग्राम तालछी पटवार हल्का दीगोद के माल में खसरा नंबर 35 की 0.93 हैक्टर दर्ज है। —वादी—

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। पत्रावली पर उपलब्ध माल ग्राम तालछी तहसील सांगोद की नकल जमाबन्दी संवत् 2062—65 की खतोनी संख्या 50 में खसरा नंबर 35 रकबा 0.93 हैक्टर आराजी वादी रामचन्द्र के खाते दर्ज रेकार्ड है जिससे उक्त तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में तय की जाती है।

2. आया वादी के खाते की उपरोक्त आराजी की दक्षिणी मेड से लगवा प्रतिवादी कं. 1 की खातेदारी आराजी स्थित है।

—वादी—

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर है। उक्त संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध पटवार मण्डल दीगोद की पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 25.10.2004 का अवलोकन किया। उक्त पेमाईश रिपोर्ट में खसरा नंबर 35 के दक्षिण में प्रतिवादी जानकीलाल की खसरा नंबर 36 की आराजी स्थित होना जाहिर किया हैं। साथ ही प्रतिवादी द्वारा भी अपने जवाबदावा की चरण संख्या 2 में खसरा नंबर 35 के दक्षिण में स्वयं की आराजी खसरा नंबर 36 स्थित होना स्वीकार किया है। लिहाजा उक्त तनकी भी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

3. आया प्रतिवादी द्वारा वादी के खाते की आराजी में जबरन ट्यूबवेल खोदकर 2 गढ़्ड़ा आराजी पर कब्जा कर लिया है। वादी प्रतिवादी के विरूद्ध बेदखली का आदेश प्राप्त करने का अधिकारी है।

—वादी—

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर है। उक्त संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में स्वयं का मुख्यपरीक्षा शपथ पत्र प्रस्तुत किया किन्तु प्रतिवादीगण की ओर से वादी से जिरह नहीं की गई ओर प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं की ओर से कोई गवाह भी परिक्षित नहीं करवाया। हमने पत्रावली पर उपलब्ध पटवार मण्डल दीगोद की पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 25.10.2004 का अध्ययन किया तो पाया कि उक्त पैमाईश रिपोर्ट जो वादी रामचन्द्र व प्रतिवादी जानकीलाल की उपस्थित में तैयार की गई है जिसमें पटवारी हल्का द्वारा मुख्यतः यह तथ्य अंकन किया है कि ''मौके पर पत्थरगढी करवाई गई, ट्यूबवेल खसरा नंबर 35 में लगा हुआ है जिसका नजरी नक्शा पुश्त पर अंकित है जो कि खसरा नंबर 36 में 2 गड्डा खसरा नंबर 35 की मिली हुई है।'' उक्त पैमाईश रिपोर्ट रिपोर्ट से यह प्रमाणित होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के खाते की आराजी खसरा नंबर 35 में से दक्षिणी 2 गड्डा भूमि में अतिक्रमण करके अपनी आराजी खसरा नंबर 36 में मिला लिया है और उक्त अतिक्रमित भाग में ट्यूबवेल स्थापित कर लिया है। उक्त संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा जो प्रतिरक्षा ली गई है, उसके संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से न तो कोई गवाह प्रस्तुत किया और न ही स्वयं को साक्ष्य में परिक्षित करवाया। साथ ही प्रतिवादी द्वारा वादी से जिरह भी नहीं की गई। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा अपने कथनों को सिद्ध करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। ऐसी परिस्थितियों में वादी की आराजी खसरा नंबर 35 रकबा 0.92 हैक्टर में से दक्षिणी मेड पर 2 गड्डा भूमि पर प्रतिवादीगण का अतिक्रमण होना सिद्ध होने से उक्त तनकी संख्या 3 भी बहक वादी व खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

4\. आया प्रतिवादी ओर वादी के बीच आपसी समझाईश से 21,000/—रूपये की एवज में राजीनामा हो चुका है। अतः प्रतिवादी उक्त आराजी पर काबिज रहने का अधिकारी होने से बेदखली नहीं की जावे व वाद खारिज फरमाया जावे। —प्रतिवादी—

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है किन्तु उक्त तनकी को सिद्ध करने के संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई एवं प्रतिवादीगण की ओर से वादी से भी जिरह नहीं की गई है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्यों पर संदेह नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में उक्त तनकी संख्या 4 को भी बहक वादी व खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित किया जाता है।

बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, दस्तावेज, अभिवचनों एवं साक्ष्य का सूक्ष्मतम अवलोकन करने के उपरान्त दावा वादी उपरोक्त विवेचनानुसार स्वीकार करना उचित समझती हूं।

अतः दावा वादी स्वीकार कर माल ग्राम तालछी तहसील सांगोद में स्थित वादी के खाते की आराजी खसरा नं0 35 रकबा 0.93 हेक्टर की दक्षिणी मेड की 2 गट्ठा भूमि पर प्रतिवादीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उक्त अतिक्रमित भूमि मय ट्यूबवेल से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को सुपुर्द करने के आदेश प्रसारित किये जाते हैं तथा वक्त दायरी दावा से तादखलयाबी अतिक्रमित भूमि के उपयोग—उपभोग का हर्जाना 200/—रूपये प्रतिवर्ष की दर से प्रतिवादीगण से वसूल कर वादी को दिलाये जावें। तहसीलदार सांगोद उक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में अविलम्ब पेश करे। उक्तानुसार अन्तिम डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनॉक 25/3/28 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीमती सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद

अन्तिम डिकी मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

बइजलास – श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.)

वाद संख्या 195/2007

रामचन्द्र पुत्र बजरंगलाल जाति खाती निवासी ग्राम लिसाडियाखुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा।

–वादी–

–बनाम–

1. जानकीलाल मीणा पुत्र नाथूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम तालछी तहसील सांगोद,
2. रामप्रसाद पुत्र जानकीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम तालछी तहसील सांगोद,
3. रामलाल पुत्र जानकीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम तालछी तहसील सांगोद,
4. राधेश्याम पुत्र जानकीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम तालछी तहसील सांगोद जिला कोटा।

–प्रतिवादीगण–

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट

तारीख फैसला दिनांक .... यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....बहाजरी वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि ... दावा वादी स्वीकार कर माल ग्राम तालछी तहसील सांगोद में स्थित वादी के खाते की आराजी खसरा नं0 35 रकबा 0.93 हेक्टर की दक्षिणी मेड की 2 गट्ठा भूमि पर प्रतिवादीगण को अतिकमी घोषित किया जाता है तथा उक्त अतिकमित भूमि मय ट्यूबवेल से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को सुपुर्द करने के आदेश प्रसारित किये जाते हैं तथा वक्त दायरी दावा से तादखलयाबी अतिकमित भूमि के उपयोग–उपभोग का हर्जाना 200/–रूपये प्रतिवर्ष की दर से प्रतिवादीगण से वसूल कर वादी को दिलाये जावें। निज तहसीलदार सांगोद उक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में अविलम्ब पेश करे। निज ———— मुबलिग ———— बाबत ———— खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह ———— फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ———— का अदा करे। सब मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज तारीख 25.3.26 को जारी की गई।

(श्रीमती सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद।

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकालत नामा			महनताना वकील		
स्टाम्प वजह सबूत			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			बाबत इजराय हुकुमनामा		
फीस कमिश्नर			मुतफर्रिक		
बाबत इजराय हुकुमनामा					
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

(श्रीमती सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद।